



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042023-245010
CG-DL-E-06042023-245010

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1573]
No. 1573]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2023/चैत्र 16, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2023/CHAITRA 16, 1945

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना रद्दीकरण

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023

का.आ. 1652(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20ड. की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वर्ष 2019 की अवमानना वाद (सिविल) संख्या 2635 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश तारीख 14.03.2023 और सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (एल ए), कानपुर नगर के आदेश (पत्रांक-5245/आठ-अ०जि० (भू०अ०) कानपुर नगर, तारीख 18.03.2023) के अनुपालन में निम्नलिखित भू-खंड की अधिसूचना को रद्द करती है जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 16 दिसम्बर, 2008 [का.आ. 2903 (अ), तारीख 12 दिसम्बर, 2008] को प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित किया गया था :

क्रम संख्या	जिला का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	20 ई० के अनुसार रकबा (हेक्टेयर में)	भू-स्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	औरैया	औरैया सदर	लखनापुर	929	सरकारी	गैर कृषि	0.0290	सरकारी

[फा. सं. 2023/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2396]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु.)

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 16 दिसम्बर, 2008 [का.आ. 2903(अ), तारीख 12 दिसम्बर, 2008], को प्रकाशित की गयी थी।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

DENOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2023

S.O. 1652(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20E of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), and in compliance of the Order of Honourable High Court of Allahabad in Contempt Application (Civil) No. 2635 of 2019, dated 14.03.2023 and Order of Competent Authority/ADM(LA), Kanpur Nagar (letter no.: 5245/aath-a.g.(bhoo.a.) Kanpur Nagar, Dated 18.03.2023), the Central Government hereby de-notify the following land plot notified vide notification of the Government of India, in Ministry of Railway, (Railway Board) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) dated the 16th December, 2008 [S.O. 2903 (E), dated the 12th December, 2008]:

Sl. No.	District	Name of the Taluka	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area as per 20E (in hectares)	Name of the land owner/ interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Auraiya	Auraiya Sadar	Lakhnapur	929	Government	Non Agricultural	0.0290	Government

[F. No. 2023/LML-II/12/2/EC/2396]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extra-ordinary, part II, section 3, sub-section (ii) dated the 16th December, 2008 [S.O. 2903 (E), dated the 12th December, 2008].